

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान,
डब्लू-6, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

क्रमांक :एफ3()प्राशिम/भण्डार/ रद्दी नीलामी/2024/

दिनांक :

—: नीलामी सूचना संख्या 01/2023-24 :-

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान, जोधपुर कि विभिन्न परीक्षाओं में प्रयुक्त होकर अनुपयोगी हुई उत्तरपुस्तिकाओं, पुराने प्रश्नपत्रों तथा मण्डल कार्यालय के पुस्तकालय के पुराने समाचार पत्रों की रद्दी(कागज) (जहां है जैसी स्थिति में है) की नीलामी की जानी है, जिसकी नीलामी का कार्यक्रम एवं विवरण निम्न तालिका के अनुसार है:-

-:नीलामी का कार्यक्रम एवं विवरण:-	
बोलीदाता द्वारा रद्दी सामग्री के मण्डल कार्यालय में भौतिक अवलोकन की समयावधि	दि. 14-02-2024 से दि 03-03-2024 के मध्य किसी कार्यदिवस पर 11 am से 03 pm के बीच
नीलामी हेतु बोली प्रपत्र की बिक्री प्रारंभ	दि. 14-02-2024 को 10:00am बजे से
नीलामी हेतु बोली प्रपत्र की बिक्री समाप्ति	दि. 04-03-2024 को 10:00am बजे
नीलामी हेतु बोली प्रपत्र शुल्क जमा करवाने की समयावधि	दि. 14-02-2024 को 10:00am बजे से दि. 04-03-2024 को 10:00am बजे तक
प्राप्त बोलियों की जाँच पश्चात् सम्यक बोलीदाताओं हेतु नीलामी की कार्यवाही का समय	दि. 04-03-2024 को 12:00pm बजे से
नीलाम की जाने वाली रद्दी का अनुमानित विक्रय मूल्य(रु में) (जी.एस.टी अतिरिक्त)	रु 5.50 लाख/- (जी.एस.टी अतिरिक्त देय होगा)
नीलामी से पूर्व कार्यालय में नकद जमा करवाये जाने वाली 2% अमानत राशि(रु में)	रु 11,000/-
नीलामी हेतु बोली प्रपत्र शुल्क (रु में)	रु 200(अप्रतिदेय)

नीलाम की जाने वाली रद्दी का विवरण				
क्रम.स.	रद्दी का विवरण	रद्दी सामग्री का उपलब्ध वजन (किलोग्राम में)	न्यूनतम बिक्री मूल्य (प्रति किलोग्राम)	अनुमानित विक्रय मूल्य
1.	अनुपयोगी उत्तरपुस्तिकाओं	24700	21.75	537225
2.	समाचार पत्र	174	15	2610
3.	पुराने प्रश्नपत्र	654	15.50	10137
				कुल:-549972

नीलामी कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित उक्त नीलामी में रद्दी को खरीदने के इच्छुक सम्मयक बोलीदाता निर्धारित प्रारूप में बोली प्रपत्र[अनुलग्नक'क'] में नीलामी की शर्तों [अनुलग्नक'ख'] के अनुसार नीलामी कार्यवाही में भाग लेकर बोली प्रस्तुत कर सकेंगे। नीलामी सूचना राज्य सरकार के उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> तथा विभागीय वेबसाईट <http://techedu.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान
जोधपुर

दिनांक

14 FEB 2024

क्रमांक एफ:3(भण्डार) प्राशिम/रद्दी. नीलामी/2024/ 884
प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ:-

- कार्यालयाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
- संयोजक, रद्दी नीलामी निस्तारण कमेटी, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
- प्रभारी अधिकारी, लेखा/भण्डार, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
- कैशियर, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

5. प्रोग्रामर को प्रेषितकर लेख है कि नीलामी सूचना नीलामी हेतु आवेदनार्थ बोली प्रपत्र [अनुलग्नक'क'] नीलामी की शर्तों [अनुलग्नक'ख'] सहित sppp पोर्टल तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें तथा कैशियर को बोली प्रपत्र एवं नीलामी की शर्तों के प्रिन्ट तैयार कर यथा आवश्यकता बिक्री हेतु उपलब्ध करवाएँ।

RajKaj Ref
5648920



संयुक्त निदेशक एवं सचिव
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान
Digitally Signed by Ranju Gupta
Designation: Joint Director
Date: 2024.02.14 11:50:40 IST
Reason: Approved

[अनुलग्नक 'क']

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान,
डब्लू-6, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर
नीलामी सूचना संख्या 01/2023-24 हेतु बोली प्रपत्र

क्रमांक : एफ3() प्राशिम/भण्डार/ रद्दी नीलामी/2024/ 884

दिनांक :

14 FEB 2024

संयुक्त निदेशक एवं सचिव
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान
जोधपुर 342001

विषय:- नीलामी सूचना संख्या 01/2023-24 के अंतर्गत रद्दी
नीलामी में भाग लेने बाबत बोली प्रस्तुत करने के संबंध में।

01. नीलामी का कार्यक्रम एवं विवरण:-

-:नीलामी का कार्यक्रम एवं विवरण:-	
बोलीदाता द्वारा रद्दी सामग्री के मण्डल कार्यालय में भौतिक अवलोकन की समयावधि	दि. 14-02-2024 से दि. 03-03-2024 के मध्य किसी कार्यदिवस पर 11 am से 03 pm के बीच
नीलामी हेतु बोली प्रपत्र की बिक्री प्रारंभ	दि. 14-02-2024 को 10:00am बजे से
नीलामी हेतु बोली प्रपत्र की बिक्री समाप्ति	दि. 04-03-2024 को 10:00am बजे
नीलामी हेतु बोली प्रपत्र शुल्क जमा करवाने की समयावधि	दि. 14-02-2024 को 10:00am बजे से दि. 04-03-2024 को 10:00am बजे तक
प्राप्त बोलियों की जाँच पश्चात् सम्यक बोलीदाताओं हेतु नीलामी की कार्यवाही का समय	दि. 04-03-2024 को 12:00pm बजे से
नीलाम की जाने वाली रद्दी का अनुमानित विक्रय मूल्य(रु में) (जी.एस.टी अतिरिक्त)	रु 5.50 लाख/- (जी.एस.टी अतिरिक्त देय होगा)
नीलामी से पूर्व कार्यालय में नकद जमा करवाये जाने वाली 2% अमानत राशि(रु में)	रु 11,000/-
नीलामी हेतु बोली प्रपत्र शुल्क (रु में)	रु 200(अप्रतिदेय)

नीलाम की जाने वाली रद्दी का विवरण				
क्रम.स.	रद्दी का विवरण	रद्दी सामग्री का उपलब्ध वजन (किलोग्राम में)	न्यूनतम बिक्री मूल्य (प्रति किलोग्राम)	अनुमानित विक्रय मूल्य
1.	अनुपयोगी उत्तरपुस्तिकाओं	24700	21.75	537225
2.	समाचार पत्र	174	15	2610
3.	पुराने प्रश्नपत्र	654	15.50	10137

RajKaj Ref
5648920

Digitally signed by Ranju Gupta
Designation: Joint Director,
बोलीदाता के कार्यालय
Date: 2024.02.14 11:50:46 IST
Reason: Approved

02. बोलीदाता फर्म का नाम व डाक का पूर्ण पता _____

दूरभाष न. STD कोड _____ कार्यालय _____

निवास _____ मोबाइल न. _____

ईमेल पता _____ @ _____

03. बोलीदाता फर्म के सम्बन्ध में सही सुचना का चयन करे:-

(i) क्या फर्म कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री/उद्योग की श्रेणी में आती है?

हाँ/नहीं

(ii) क्या फर्म रददी विक्रेता फर्म अथवा कबाड़ी व्यवसाय है?

हाँ/नहीं

(iii) क्या फर्म रददी नीलामी की शर्तों के अनुसार रददी का उपयोग लुगदी(pulp)

के रूप में करने हेतु सहमत है तथा सफल बोलीदाता के रूप में नीलामी में किये जाने पर इस हेतु शपथ पत्र तथा कागज़ पुनर्निर्माता/पेपर मिल के द्वारा प्रदत्त लुगदी प्रमाण पत्र(pulp certificate) प्रस्तुत करने का अभिवचन देती है.

हाँ/नहीं

04. बोलीदाता फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण:-

नाम- _____ पद _____

मोबाइल न. _____ ईमेल पता _____ @ _____

05. बैंक खाता सम्बंधित विवरण(मंडल द्वारा असफल बोलीदाता को अमानत राशि

लौटानी या अन्य किसी राशि के भुगतान हेतु जिसका प्रयोग किया जा सके)

बैंक का नाम _____ शाखा _____

IFSC कोड _____ खाता क्रमांक _____

खाते का प्रकार- SB/CA

06. बोलीदाता फर्म के पंजीयन(रजिस्ट्रेशन) सम्बंधित विवरण -

अ) PAN(पैन) कार्ड संख्या _____

आ) फर्म की पंजीयन संख्या _____

इ) फर्म का GST पंजीयन संख्या _____

07. संलग्न किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचि:-

(i) बैंक खाता विवरण सम्बंधित दस्तावेजों की छाया प्रति

(ii) PAN card की छाया प्रति

(iii) फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति

(iv) फर्म के GST पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति

(v) बोली शुल्क रु 200/- के नकद जमा की रसीद

बोलीदाता की घोषणा (declaration)

मैं /हम एतद द्वारा घोषणा करता /करते हूँ /है कि मेरी /हमारी फर्म नीलामी के ठीक पहले निर्धारित अमानत राशि निर्देशानुसार नकद जमा करवा देगी। मेरे द्वारा इस नीलामी की सभी शर्तों को पढ़ लिया गया है तथा मैं /हम इन शर्तों से खुद को पाबन्द करते हैं तथा इनकी पालना हेतु सहमति देते हैं। इस नीलामी की रद्दी की खरीद से उत्पन्न आयकर, GST, चुंगी आदि सभी दायित्वों का वहन भी मेरे/हमारे द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:-

RajKai Ref _____
बोलीदाता के हस्ताक्षर _____
Digitally signed by Ranju Gupta
Designation: Joint Director
Date: 2024.02.14 17:50:40 IST
Reason: Approved

नोट-(इस लाइन के नीचे कुछ न करे)

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

(अ) जांचकर्ता / लिपिक की टिप्पणी-

प्राप्त बोली प्रपत्र की जांच की गयी जिसके अनुसार निष्कर्ष निम्न है:-

1. बोली प्रपत्र नीलामी सूचना के अनुलघक 'क' के निर्धारित प्रारूप में है। हाँ/नहीं
2. बोली शुल्क रु २००(अप्रतिदेय) जमा करवाया जाकर रसीद की प्रति संलग्न है। हाँ/नहीं
3. बोली प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न है? हाँ/नहीं
 - (i) बैंक खाता विवरण सम्बन्धित दस्तावेज की छाया प्रति। हाँ/नहीं
 - (ii) PAN card की छाया प्रति। हाँ/नहीं
 - (iii) फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति। हाँ/नहीं
 - (iv) फर्म के GST पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया। हाँ/नहीं
4. बोली प्रपत्र में निर्धारित सभी स्थानों पर बोलीदाता फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवम फर्म की मोहर अंकित है।

(हस्ताक्षर जांचकर्ता लिपिक)

(आ) रोकड़पाल की टिप्पणी

बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र शुल्क की नकद जमाओ की रसीद/रसीद की प्रतियों के विवरण का मिलान कार्यालय की रोकड़ पुस्तिका में दर्ज मूल रसीदों के विवरण से कर लिया गया है तथा इनकी सत्यता की जांच की पुष्टि कर ली गयी है। हाँ/नहीं

इ) रददी नीलामी कार्यवाही हेतु गठित निस्तारण समिति की अनुशंसा:-

उक्तानुसार भाग (अ) में जांचकर्ता लिपिक की टिप्पणी एवम भाग आ) में रोकड़पाल की टिप्पणी के अनुसार बोली प्रपत्र में _____ की कमी होने से बोली प्रपत्र अस्वीकार किया जाकर बोलीदाता फर्म को इस नीलामी की प्रक्रिया से बाहर किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

अथवा

उक्तानुसार भाग (अ) एवम (आ) में बोली प्रपत्र नीलामी की शर्तों यथा निर्देशित प्राप्त होने से बोली प्रपत्र स्वीकार किया जाकर बोलीदाता फर्म को इस नीलामी की प्रक्रिया के आगामी चरणों में भाग लेने की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा की जाती है।

संयोजक

सदस्य

सदस्य

सदस्य

(ई) विभागाध्यक्ष की आज्ञा

उक्त(इ) में रददी नीलामी कार्यवाही हेतु गठित निस्तारण समिति की अनुशंसा के अनुसार फर्म के बोली प्रपत्र को स्वीकार/अस्वीकार किया जाता है।

RajKaj Ref
5648920

Signature valid
संयुक्त निदेशक एवं सचिव
प्रमाणित
Designation: Joint Director
Date: 2024.02.14 11:50:40 IST
Reason: Approved

[अनुलग्नक 'ख']

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान,
 डब्लू-6, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

क्रमांक : एफ3() प्राशिम/भण्डार/ रद्दी नीलामी/2024/

दिनांक :

—: नीलामी सूचना संख्या 01/2023-24 :—

रद्दी नीलामी हेतु मुख्य शर्तें निम्न हैं:-

1. प्रत्येक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र में नीलामी में शामिल होने के बाबत लिखित में आवेदन प्रस्तुत करते हुए निर्देशानुसार निर्धारित अमानत राशि जमा कराएगा।
2. नीलामी पूर्ण होने पर अधिकतम बोलीदाता को, रद्दी की स्वीकृत बोली की कुल राशि के एक चौथाई भाग के तुल्य राशि बतौर अग्रिम जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसका समायोजन अंतिम तुलाई के समय किया जायेगा।
3. उत्तरपुस्तिकाओं आदि की रद्दी का उपयोग लुगदी बनाने में ही किया जायेगा। इसके बाजार में विक्रय हेतु पाए जाने अथवा इसकी जानकारी होने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट किये जाने सहित विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। बाबत बोलीदाता को शपथपत्र व प्रमाण पत्र के रूप में कागज का पुनर्निर्माण करने वाली पेपर मिल द्वारा प्रदत्त लुगदी प्रमाण पत्र (pulp certificate) प्रस्तुत करना होगा।
4. सामान का वजन आवश्यक होने पर दो से अधिक धर्म कांटे पर तुलवाया जा सकता है। रद्दी के पैकिंग से लेकर तुलवाने, परिवहन, माल ढुलाई, लेबर आदि का समस्त व्ययों को सफल बोलीदाता फर्म स्वयं वहन करेगी। साथ ही, तुलाई के तुरंत बाद ही उसी कार्य दिवस पर रद्दी की अनुमोदित दर के अनुसार देय राशि नकद/डी.डी के माध्यम से इस कार्यालय में जमा करवाया जाना अनिवार्य शर्त होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट से जमा करवाने की स्थिति में डी.डी. 'संयुक्त निदेशक एवम सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान' के पक्ष में जारी होकर 'जोधपुर' में देय हो।
5. तुलाई के अनुसार तौली गयी रद्दी की पूर्ण राशि रोकडपाल के पास जमा करानी होगी।
6. नीलामी सामग्री का अवलोकन मण्डल में कार्यालय समय में इस हेतु निर्धारित समयावधि में किया जा सकेगा। रद्दी का सैंपल दिया जाना संभव नहीं होगा।
7. रद्दी की नीलामी मे आइटमवार एकमुश्त दरें बोली में ली जाएगी स्वीकृत बोली की दर पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी, जिसकी समस्त देय राशि को सम्बंधित विभाग में जमा करवाए जाने का संपूर्ण दायित्व फर्म का होगा। जी.एस.टी. सहित अन्य कोई भी कर आदि केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा लागू होने पर तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत उसके चुकारे का समस्त भार क्रेता फर्म(बोलीदाता) का होकर उसी के द्वारा देय होकर भुगतान हेतु वहन किया जायेगा। स्वीकृति आदेश के निर्देशों में अंकित प्रावधानों की पालना कर जी.एस.टी. आदि के चुकारे का प्रमाण अविगत प्रस्तुत करना होगा।

RajKaj Ref
5648920
बोलीदाता

Signature valid
 Digitally signed by Ranju Gupta
 Designation: Joint Director
 Date: 2024.02.14 17:50:40 IST
 Reason: Approved

8. सशर्त बोली प्रस्ताव अस्वीकार किये जायेंगे। बोलीदाता के द्वारा नीलामी की शर्तों को मानना अनिवार्य होगा।
9. रददी कागज सामग्री, जहा है जैसी है, उसी स्थिति में विक्रय की जानी है।
10. नीलामी के सन्दर्भ में 'सम्यक बोलीदाता' से अभिप्रेत है कि बोली लगाने हेतु कागज निर्माण करने वाली मिलों के साथ-साथ, कबाड़ी व्यवसायी एवम अन्य रददी क्रेता फर्मों के द्वारा उक्त बिंदु स. 3 के अनुसार शपथ पत्र सहित लुगदी (pulp) बनाने में रददी का उपयोग करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सहमति बोली प्रपत्र में प्रदान करने के आधार पर उनकी ओर से प्राप्त बोलियों को नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
11. नीलामी के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले बोली प्रपत्र के साथ बोली के निर्देशों एवम शर्तों में वर्णित दस्तावेजों, यथा - PAN कार्ड, फर्म का GST पंजीयन, बोली प्रपत्र शुल्क जमा की रसीद, फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियाँ आदि जमा करवाई जानी अनिवार्य एवम आवश्यक होगी। इसके अभाव में बोली प्रस्ताव एवम बोली प्रपत्र को अस्वीकार कर नीलामी प्रक्रिया से बाहर किया जा सकेगा।
12. बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क जमा करवाए जाने पर ही स्वीकार किया जायेगा। बोलीदाता द्वारा यह शुल्क बोली प्रपत्र की बिक्री की प्रारम्भ व समाप्ति की नियत समयसीमा के अंतर्गत मंडल कार्यालय में (कार्य दिवसों पर कार्यालय समय में) कैशियर के पास रसीदन जमा करवाया जाकर बोली प्रपत्र की प्रति को प्राप्त किया जा सकेगा। SPPP पोर्टल या विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर प्रयुक्त करने पर भी बोली प्रपत्र शुल्क रु २००/- जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय होगा तथा इसके अभाव में बोली प्रस्ताव अस्वीकार कर बोलीदाता फर्म को नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अस्वीकृत आवेदकों सहित किसी भी आवेदक को यह राशि वापिस नहीं दी जाएगी।
13. नीलामी में बोली प्रस्ताव प्रस्तुत करता फर्म यह सुनिश्चित कर ले कि निर्धारित समय सीमा में उनके द्वारा रददी उठाना उनकी कार्यक्षमता एवम सामर्थ्य में हो। फर्म के द्वारा दर अनुमोदन प्राप्त कर लेने के पश्चात सम्बंधित रददी सामग्री को पूर्ण रूप से लेना अनिवार्य होगा। बोली में अंकित रददी की मात्रा/ वजन पूर्णतः अनुमानित है, जो कम या अधिक हो सकते हैं।
14. नीलामी की सूचना, नीलामी हेतु बोली प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र एवम नीलामी की शर्तों में वर्णित निर्देशों तथा उपबंधों को नीलामी के बोलीदाता क्रेता फर्म हेतु स्वीकार कर स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर अंत में नियत स्थान पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर अंकित कर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
15. बोली प्रस्तुत करने वाली क्रेता फर्म रददी सामग्री के वजन का अंदाज लगाकर बोली की दरें देवे। रददी सामग्री को मंडल कार्यालय के भंडार, गोदाम अथवा अन्य स्थानों, जहाँ जिस स्थिति में रखी है, वही से उठाया जायेगा। बोलीदाता की दर अनुमोदित होकर स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद ऐसे किसी तथ्य या कमी पर विचार नहीं किया जायेगा कि- अमुक रददी सामग्री ऊपर से अच्छी है और नीचे से खराब है या रददी गीली व नमीयुक्त है या सामग्री भूतल से या मुख्य द्वार से दूरी पर रखी है, इत्यादि।

Signature valid

RajKaj Ref
बोलीदाता

Digitally signed by Ranju Gupta
Designation: Joint Director
Date: 2024.02.14 17:50:40 IST
Reason: Approved

16. डाक से भेजे गए बोली प्रस्ताव को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

17. नीलामी में भाग लेने वाली फर्मों को नीलामी के ठीक पहले नीलामी सूचना में अंकित अमानत राशि को नकद प्रस्तुत कर जमा करवाना होगा। असफल बोलीदाताओं को नीलामी कार्यवाही समाप्ति पश्चात् तत्काल ही अमानत राशि रसीदन लौटा दी जाएगी। अमानत राशि वापिस लेने हेतु उपस्थित नहीं होने पर उसे आगामी कार्यदिवस पर राजकोष में जमा करवा दिया जाएगा, जिसे बोलीदाता फर्म द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर सक्षम स्वीकृति पश्चात् ही बैंक खाते में लौटाया जा सकेगा, जिसे कि बोली प्रपत्र में अंकित कर जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत किये गए हो। अमानत राशि की ऐसी किसी जमा रहने की अवधि हेतु कोई ब्याज आदि देय नहीं होगा। निर्धारित शुल्क, बोली प्रपत्र, अमानत राशि आदि सहित एवम उचित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत नीलामी में भाग लेने हेतु स्वीकृत बोली प्रस्तावों के क्रम में बोलीदाताओं के द्वारा ही रददी सामग्री वार बोलियाँ लगायी जाएगी। जैसा कि रददी सामग्री का विवरण नीलामी सूचना में विस्तृत रूप से अंकित किया गया है कि सामान्यतया, सामग्री वार न्यूनतम अपेक्षित दर से ऊपर नीलामी में प्राप्त अधिकतम (उच्चतम) दर को सफल बोलीदाता के रूप में चयनित कर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा। पृथक-पृथक सामग्री के सफल बोलीदाता पृथक-पृथक होने पर, स्वीकृति आदेश भी पृथक-पृथक जारी किये जायेंगे। तथापि अधिकतम प्रस्तुत दर को ही स्वीकार कर बोली प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।

18. स्वीकृति आदेश के क्रम में क्रेता फर्म बेचे जाने वाली सामग्री अथवा उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेंसी को सौंप सकेगी और न ही किसी को आगे सबलेट कर सकेगी।

19. स्वीकृत दर पर नियत समय सीमा के बाद भी रददी नहीं उठाने पर दुबारा नीलामी कर या अन्य प्रकार से रददी बेचने का प्रबंध करने हेतु अधिकार आयोजको को प्राप्त रहेगा। ऐसी किसी स्थिति में जो हानिकारित होगी उसकी वसूली हेतु अमानत राशि की जब्ती व अन्य वैकल्पिक कानूनी तरीके प्रयुक्त किये जायेंगे। रददी नीलामी के उपरांत दरें स्वीकृत कर आदेश जारी किये जाने की दिनांक से अवकाश के दिनों सहित कुल 15 दिवस की समयावधि में उपलब्ध समस्त रददी एकमुश्त मंडल कार्यालय से ले जाया जाना अनिवार्य होगा। इसमें विलम्ब कारित कर देरी से रददी उठाने पर 'गोदाम किराया' के विलम्ब अवधि के प्रतिदिन के हिसाब से इस प्रकार वसूली योग्य होगा, जिसे अमानत राशि से वसूल किया जायेगा-

क्रम स.	विलम्ब की अवधि	गोदाम किराया(रु में)
1.	प्रथम 07 दिवस की देरी तक	रु 1000/- प्रतिदिवस
2.	द्वितीय 07 दिवस की देरी तक	रु 1500/- प्रतिदिवस
3.	तृतीय 07 दिवस की देरी पर तथा 30 दिन की देरी तक	रु 2500/- प्रतिदिवस
4.	30 दिवस से अधिक देरी तक	रु 3000/- प्रतिदिवस

तथापि भंडार के प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकार से वर्णित देरी की स्थिति में समय देने व गोदाम किराया लेकर अनुमति देने का निर्णय विभाग/ मंडल कार्यालय के सक्षम अधिकारी के विवेकाधीन होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर पर फर्म का निहित
RajKaj Ref
5648920

Signature valid

Digitally signed by Ranju Gupta
Designation: Joint Director
Date: 2024.02.14 17:50:40 IST
Reason: Approved

अत्यंत आवश्यक होने पर विक्रय योग्य रददी को तुरंत ही नीलामी या अन्य फर्म को देने या अन्यत्र रखवाने या सौंपने की व्यवस्था करने या अन्य तरीको से बेचने का निर्णय लिया जा सकेगा, जिस हेतु समस्त हर्जे- खर्चे व हानि की वसूली चयनित बोलीदाता फर्म से की जाएगी।

20. प्राप्त बोलिया नियमानुसार अवधि तक वैध एवम प्रभावी होंगी. रददी की सामग्री वार स्वीकृत दरें एवम स्वीकृति आदेश जारी दिनांक से 01 वर्ष हेतु मान्य होंगी, जिसके अंतर्गत रददी उठाने का आदेश दिया जा सकेगा इसे नियमानुसार अभिवर्धित भी किया जा सकेगा।

21. मण्डल कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी कार्यवाही को पूर्णतः या अंशतः रद्द करने या स्थागित करने या निरस्त करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

22. नीलामी कार्यक्रम की घोषित किसी इवेंट या समय सीमा की दिनांक/दिनांकों को कार्यालय में अवकाश होने की स्थिति में उसके स्थान पर आगामी कार्यदिवस को इवेंट की दिनांक अथवा समयावधि के प्रारम्भ या समाप्ति(जैसा लागू हो) समझा जाकर उस दिन वह दिनांक समझी जाएगी।

23. एक बोलीदाता फर्म से एक ही बोली प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा।

24. नीलामी की कार्यवाही GFAR नियमो एवम समय.समय पर जारी अन्य सम्बंधित राजकीय निर्देशों, नियमावधियों के प्रावधानों एवम उपबंधों के अध्यक्षीन रहेगी।

25. नीलामी कार्यवाही से जुड़े किसी भी पक्ष द्वारा विधि कार्यवाही अथवा कानूनी वाद संस्थित कराये जाने हेतु समस्त न्यायिक एवम विधिक विवादों का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर शहर होगा, अन्य नहीं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

संयुक्त निदेशक एवं सचिव
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान
जोधपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5648920

Digitally signed by Rangu Gupta
Designation: Joint Director
Date: 2024.02.14 17:50:40 IST
Reason: Approved